न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/242

सत्यवीर पुत्र कजोड़ीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री दयाराम सेन, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 16.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 72/2022 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम वादी ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा का कदीमी निवासी है तथा काश्तकारी करके अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण करता है।वादी को अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन उपखंड अधिकारी कोटा द्वारा ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी ख० न० 467 रकबा 1.00 हैक्टर का दिनांक 20–7–2002 को किया जाकर मौके पर कब्जा दिया गया था। वादी उपरौक्त आराजी पर वक्त आवन्टन से लगातार बहैसियत आवंटी काबिज काश्त चला आरहा है तथा उक्त आराजी को काश्त करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी की गैर खातेदारी में दर्ज नहीं की गई है तथा उक्त आराजी आज तक सिवायचक दर्ज चली आर ही हैं। वादी ग्रामीण व्यक्ति है तथा कानून के मामले में अनभिज्ञ हैं तथा उसे कानून की जानकारी नहीं है तथा उससे आज तक किसी कर्मचारी व अधिकारी द्वारा भूमि से बेदखल भी नहीं किया

गया है। वादी यही जानता रहा कि उक्त आराजी उसकी है जिस पर वह काबिज काश्त है। अभी कुछ समय पूर्व वादी को पटवारी हल्का के द्वारा उक्त आराजी सिवाय चक खाता दर्ज होने की जानकारी दी वादी ने नकले प्राप्त की तो उक्त राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होना अंकित पाया है। वादी ने तहसील मे उक्त त्रुटि दुरूस्ती बाबत निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर वादी ने अपने अधिवक्ता के मार्फत लेन्ड होल्डर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी श्रीमान जिला कलेक्टर को उक्त आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज करने बाबत धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत एक नोटिस दिनांक 7–6–2022 को प्रेषित करवाया जो कि श्रीमान जिला कलेक्टर कोटा को प्राप्त हो चुका है लेकिन नोटिस अवधि 60 योम समाप्त होने के उपरान्त भी उक्त आराजी को वादी की गैरखातेदारी मे दर्ज नहीं किया गया है यही वाद कारण है जो लगातार है। प्रतिवादी के प्रतिनिधी वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये वादी के लिये आवश्यक होगया है कि वह प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करे। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम मुकुन्दपुरा की आराजी ख० न० 37 रकबा 1.00 हेक्टेयर आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने का निर्णय एवं डिक्री फरमाई जावे। वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी एवम उसके प्रतिनिधि वादी को उपरीक्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे तथा उसे शांति पूर्वक काश्त करने दे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2024 को वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल

पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी खारिज करने में त्रुटि की है जबकि वादी अपीलान्ट द्वारा अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष से अपना केस पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है। अपीलान्ट/वादी को अनाधिवासित राजकीय भूमि का आवंटन उपखंड अधिकारी कोटा द्वारा ग्राम मन्डाना तहसील लाडपुरा की आराजी ख० न० 467 रकबा 1.00 हेक्टर का दिनांक 20–7–2002 को किया जाकर मोके पर कब्जा दिया गया था। अपीलांट वादी उपरोक्त आराजी पर वक्त आवंटन से लगातार बहैसियत आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजी को काश्त करके अपना और अपने पारिवार का भरण–पोषण करता आ रहा है। उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण वादी की गैर खातेदारी में दर्ज नहीं की गई है तथा उक्त आराजो आज तक सिवाय चक दर्ज वाली है। अपीलान्ट वादी गामीण व्यक्ति है तथा कानून के मामले में अनभिज्ञ है तथा उसे कानून की जानकारी नही है। अपीलांट को आज तक किसी कर्मचारी व अधिकारी द्वारा भूमि से बेदखल नहीं किया गया है। वादी यही जानता रहा कि उक्त आराजी उसकी हैं जिस पर वह काबिज काश्त है। कुछ समय पूर्व वादी को पटवारी हल्का के द्वारा उक्त आराजी सिवायचक खाता दर्ज होने की जानकारी दी। वादी ने नकले प्राप्त की तो उक्त राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होना अंकित पाया है। प्रतिवादी के प्रतिनिधी वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिये वादी अपीलांट ने आधनस्थ व्यायालय में वाद पेश किया तथा अपने पक्ष समर्थन में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य पेश की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनन नहीं करके तथा उक्त दस्तावेजो को पूर्ण रूपसे देखे बिना ही निर्णय एवम डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट अपनी आवंटित भूमि पर आवंटन ने लेकर आज तक लगातार बहैसियत आवंटी काबिज काश्त चला आ रहा है। अतः अधिनस्थ न्यायालय को वादी अपीलांट का वाद डिक्री करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जाने तथा अपीलान्ट को आवंटित उपरोक्त भूमि खातेदार घोषित किए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वादीगण अपीलांटगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया है। प्रश्नगत खसरा नम्बर 467 रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है तथा अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी के तौर पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 467 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है। अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है तथा अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है अतः अपीलांट स्वयं की आवंटनशुदा भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपने कथन के समर्थन में अपीलांट ने आवंटन आदेश दिनांक 20.07.2002 की फोटोप्रति पेश की है। आवंटन आदेश दिनांक 20.07.2002 में ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 467 रकबा 1.00 हैक्टेयर भूमि सत्यवीर पुत्र कजोड़ीलाल को आवंटित होने का अंकन है। अतः हमारे मत में प्रश्नगत खसरा नम्बर 467 की भूमि अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 12.08.2024 में प्रश्नगत खसरा नम्बर 467 की भूमि को अपीलांट की आवंटनशुदा भूमि होने का अंकन किया गया है। पत्रावली में ऐसा

कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसमें प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 20.07.2002 को निरस्त किया जाना प्रमाणित होता हो। प्रतिवादी ने प्रश्नगत आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चुनौती दिए जाने के सम्बंध में भी कोई दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रश्नगत आवंटन आज भी प्रभावी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में। अपीलांट ने प्रश्नगत आवंटन के पश्चात आवंटनशुदा भूमि पर दखल दिए जाने एवं प्रश्नगत आवंटन का नामान्तरकरण स्वीकृत होने के सम्बंध में कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने केवल आवंटन के आधार पर इंतकाल नहीं खोले जाने एवं दखलनामा प्रस्तुत नहीं होने के आधार पर ही वादी अपीलांट का वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अप्रीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 72/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.08.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा